

## विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ/ टिप्पणियां
प्राक्कथन		v
संक्षिप्त अवलोकन		vii-x
<b>प्रस्तावना</b>		
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की कार्यप्रणाली		1-5
<b>भाग-I - विद्युत क्षेत्र</b>		
<b>अध्याय-1</b>		
<b>विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यप्रणाली</b>		
प्रस्तावना	1.1	7-8
राज्य में बिजली की मांग, उपलब्धता और आपूर्ति की स्थिति	1.2	8
विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों का गठन	1.3	8-9
विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, पुनर्गठन तथा निजीकरण	1.4	9
विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश	1.5	9-10
विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता	1.6	10-11
हरियाणा सरकार के वित्त लेखाओं से मिलान	1.7	11-12
विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतिकरण	1.8	12-13
विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन	1.9 से 1.21	13-26
विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं पर टिप्पणियां	1.22	26
निष्पादन लेखापरीक्षा और अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद	1.23	26
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	1.24 से 1.26	27-28
<b>अध्याय-2</b>		
<b>विद्युत क्षेत्र - निष्पादन लेखापरीक्षा</b>		
हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का कार्यचालन	2.1 से 2.12	29-66
<b>अध्याय-3</b>		
<b>विद्युत क्षेत्र - अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां</b>		
<b>हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड</b>		
परिहार्य व्यय	3.1	67-68
जनरेटर ट्रांसफार्मर की अवैध खरीद	3.2	69-70
<b>दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड</b>		
ठेकेदार को अनुचित लाभ	3.3	70-72
सहमत विनिर्देशों के अनुरूप न होने पर केबल की स्वीकृति	3.4	72-74
उपभोक्ताओं की प्रतिभूति जमा में संशोधन न होने के कारण हानि	3.5	74-76

<b>उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड</b>		
मानव-रहित सब-स्टेशनों पर निष्फल व्यय	3.6	76-77
स्वचालित पावर फैक्टर कैपेसिटरों की अपर्याप्तता	3.7	77-78
<b>भाग-II - विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त</b>		
<b>अध्याय-4</b>		
<b>सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) की कार्यप्रणाली</b>		
प्रस्तावना	4.1 से 4.2	79-80
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश	4.3 से 4.4	80-81
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का विनिवेश, पुनर्गठन और निजीकरण	4.5	81
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को बजटीय सहायता	4.6	82-83
हरियाणा सरकार के वित्त लेखाओं के साथ मिलान	4.7	83
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतिकरण	4.8	83-85
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के खातों को अंतिम रूप न देने का प्रभाव	4.9	85
राज्य विधानमंडल में सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना	4.10	85-86
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का निष्पादन	4.11 से 4.24	86-96
निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को बंद करना	4.25	96-97
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लेखाओं पर टिप्पणियाँ	4.26 से 4.27	97-98
अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद	4.28	98
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	4.29 से 4.31	98-100
<b>अध्याय-5</b>		
<b>विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त- अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां</b>		
<b>हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड</b>		
उच्च दर पर जन संपर्क एजेंसी को काम पर लगाना	5.1	101-102
मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के वित्तपोषण के लिए असंगत संसाधन का संग्रहण	5.2	102-104
गैर-बाधा रहित साइट के आवंटन के कारण हानि	5.3	104-105
<b>हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड</b>		
आयकर अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन न करना	5.4	105-106
अविवेकशील वित्तीय प्रबंधन	5.5	106-107
<b>हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड और हरियाणा राज्य भंडारण निगम</b>		
लघु अवधि ऋणों पर ब्याज का परिहार्य भुगतान	5.6	108-109
<b>हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड</b>		
कस्टम मिल्ड राइस का दुरुपयोग	5.7	110-111

## परिशिष्ट

क्र.सं.	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
1.	परिशिष्ट 1	1.9, 1.14 तथा 1.20	113
2.	परिशिष्ट 2	2.2	114
3.	परिशिष्ट 3	2.7.2.1	115-120
4.	परिशिष्ट 4	2.10.1	121-122
5.	परिशिष्ट 5	4.3 तथा 4.25	123-125
6.	परिशिष्ट 6	4.7	126-127
7.	परिशिष्ट 7	4.8.1	128
8.	परिशिष्ट 8	4.11, 4.13, 4.18 तथा 4.19	129-131
9.	परिशिष्ट 9	4.16	132-134
	संकेताक्षरों की शब्दावली	-	135-137

